न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 156/2015

1 उषा देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मानेहरू तहसील व जिला शिवानी (हरियाणा)।
2 सावित्री देवी पत्नी प्रसाद सिंह जाति जाट निवासी इस्माईलपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 फुला देवी पत्नी महिपाल सिंह जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2 उप पंजियक बुहाना जिला झुंझुनू।
3 भूमिधारक जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी फूला देवी बनाम उषा देवी आदि मुकदमा नम्बर 130/2014 अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2015

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 06.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा संख्या 130/2014 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी फुला देवी की और से दावा स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 163,164,165/1,165/3 वाके ग्राम ईस्माइलपुर प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अन्तिम रूप से डिकी किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी उषा देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह ने सावित्री देवी को अपना हिस्सा विक्रय कर दिया था। इसके उपरान्त उनका इस भूमि में हित निहित नही था। उषा देवी को न्यायालय को सुचित कर सावित्री देवी को चारा जोही हेतु अवसर देना चाहिए था जो नही दिया गया है। विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिकी रास्ते का प्रावधान कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पारित की गई थी। तहसीलदार एवं विचारण न्यायालय द्वारा इस आदेश की पालना सुनिश्चित नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील उषा देवी की और से प्रस्तुत की गई है। जबकि उषा देवी ने दिनांक 03.06.2016 को अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है। अब अपीलांट का विवादित भूमि में कोई लोकस स्टैण्डाई नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी उषा देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह ने सावित्री देवी को अपना हिस्सा विक्रय कर दिया था। इसके उपरान्त उनका इस भूमि में हित निहित नही था। उषा देवी को न्यायालय को सुचित कर सावित्री देवी को चारा जोही हेतु अवसर देना चाहिए था जो नही दिया गया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री रास्ते का प्रावधान कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पारित की गई थी। तहसीलदार एवं विचारण न्यायालय द्वारा इस आदेश की पालना सुनिश्चित नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विभाजन के सन्दर्भ में नियम 18 से 21 एवं रास्तों के सम्बंध में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 की पालना करते हुये अपीलांट को सुनकर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर